



MAHARAJGANJ POLICE

सराहनीय कार्य का विवरण- दिनांक 15.05.2026



- *1. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-*** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर *694* वाहनों का चालान किया गया।
- *2. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- *82* व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-170 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया। धारा 34 पुलिस एक्ट में *26* व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।
- *3. "मिशन शक्ति"-*** मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति महिलाओं, बालिकाओं में सुरक्षा व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महाराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को नारी सशक्तिकरण के प्रति किया गया जागरूक।
- *4. पैदल गश्त -*** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के आदेश के क्रम में पैदल गश्त के तहत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बों में स्थित बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्रों एवं अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों आदि के सुरक्षार्थ सघन चेकिंग अभियान चलाकर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की गई। नागरिकों एवं आम जनमानस से संवाद स्थापित कर प्रमुख चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया, जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।
- *5. जन संवाद-*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु सभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठकें कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी।
- *6* थाना सिन्दुरिया द्वारा की गई कार्यवाही*** अभियुक्ता लालती पत्नी स्व0 श्रवण चौहान निवासी गौरी बढैपुरवा थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज(गैंग लीडर) 2- अंजली उर्फ अंजलिका पत्नी करण साहनी निवासी भेडियहवा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर 3- सुमीत्रा देवी पत्नी स्व0 उमेश निवासी पिपरामाफी थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर 4- काजल चौहान पत्नी राजन गुप्ता निवासनी चकबन्दी दक्षिणी टोला थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर द्वारा भोली भाली जनता को शादी कराने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी एवं जालसाजी के माध्यम से छलपूर्वक धन की वसूली करना व एक संगठित गिरोह बनाकर अपराध कर

आर्थिक भौतिक एव अन्य अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से संगठित रूप से अपराध कारित करने के क्रम म थाना स्थानाय पर मु0अ0स0 111/2026 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गराहबन्ध एव समाज विराधा क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

थाना घुघली द्वारा की गई कार्यवाही अभियुक्ता मीना पत्नी वकील गुप्ता निवासनी ग्राम बैरिया थाना घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 33 अदद टेट्रा पैक देशी शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 103/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

थाना निचलौल द्वारा की गई कार्यवाही अभियुक्त बेचू उर्फ मेवा लाल पुत्र रामकेवल चौहान निवासी बैदौली टोला छोटकी बारी थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 शीशी अवैध देशी शराब बन्टी बबली बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 125/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

7*. विवेचना निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- *14* विवेचना का निस्तारण किया गया ।

***08.** जनपद में *14/15-05-2026* को विभिन्न अपराधों में कुल- *84* अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।